


08.9.21

पत्रावली पेशा/सार्थ स्वयं उप०/तहसील
रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है/सार्थ बकरी
विह नो निवेदन किया कि सार्थ गज के


उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

नाम - यह 3MLK-B का प. नं. 51/28
 मु. नं. 3 में 0.362 है तथा प. नं. 51/20
 मु. नं. 4 में 1.670 है। भूमि है। उक्त भूमि
 प्रार्थीगण के पिता तेजा सिंह के नाम से
 वर्ष 1941/विशालतन इंतकाल वर्ष बने समय
 प्रार्थीगण के नाम खखतोर सिंह के स्थापक
 विचित्र सिंह एवं कीर सिंह के स्थापक
 कीर सिंह अंश कर दिया गया लेकिन
 प्रार्थीगण के वास्तविक नाम खखतोर सिंह
 एवं किर सिंह है। इन्फॉर्मर पन्नाखंडी में
 नाम दुस्त कर विचित्र सिंह के स्थापक
 खखतोर सिंह तथा कीर सिंह के स्थापक
 पर किर सिंह दर्ज किया जावे।

राज पेंसवाल ने दोपलने कहेस निवेदन
 किया कि विवादित भूमि वर्तमान में सिद्धपाल
 और चरित स्व. तेजा सिंह, चमरोर सिंह,
 विचित्र सिंह, किर सिंह पि. तेजा सिंह,
 विष्णु नंद पुत्री तेजा सिंह और प्रहसिज
 ए. 1 MLK-C खखतोर एवं किर सिंह
 शपथ रिपोर्ट नामांतरण है। से भाष्य
 दिनांक तक नामांतरणों में तेजा सिंह का


 उपखण्ड अधिकारी
 मंडसाना

फरव अहकाम

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>नारिखान इंतकाल इर्न नही है</p> <p>जिस उम्माद पर मकबिधा</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया है कि राजत्व रिपोर्ट में सार्थी का नाम किशोर सिंह है जिसे दुसम्त सरकार सार्थी कश्मीर सिंह करवाना चाहता है लेकिन इसके लिए सार्थी ने कोई रिपोर्ट सादर प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह समझित हो कि राजत्व रिपोर्ट में सार्थी का नाम सहवन से गनत दर्ज किया है। अतः सार्थी का सार्थीक पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाया है। पत्रावली कैलकुलेशन होकर नम्बर हो कम हो।</p> <p style="text-align: center;">यह आदेश आज दिनांक 08.9.2024 को मेरे द्वारा खुले इम्माभाव में लिखाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (अधिलावा) उपखण्ड अधिकारी घडसाना </p>	